(b) whether any departmental enquiry on point to point charges listed against each of the officer in the said Interim Report was conducted;

(c) if so, what disciplinary action has been taken against each one of them; and

(d) if no action has been taken even after the laps of more than 6 years; what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA) : (a) Yes, Sir.

(b) NCCF have initiated departmental enquiry in respect of the allegations substantiated *prima facie*, during the course of fact finding investigation.

(c) The then Regional Manager (West) was dismissed from service on 30th December, 1988. The disciplinary proceedings against the then Regional Manager (East) and the Regional Manager (South) are in the process of completion. However, in case of the Controller of Accounts and Finance, the fact finding investigation did not substantiate any allegations made in the letter of the President dated 21-8-83.

(d) Does not arise in view of reply to Part (C).

राजस्थान में पीने के पानी की समस्या

1354. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और आगामी ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों और जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भविष्य में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के अधिकांश जलाशय और कुएं सूख गए हैं और उनका जल-स्तर इस वर्ष बहुत नीचे चला गया है और अधिकांश जिलों में पानी की कमी के कारण मनुष्यों और जानवरों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया है; यदि हां तो राजस्थान में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं अथवा बनाई जा रही हैं और इस वर्ष के दौरान राजस्थान को अब तक कितनी सहायता दी गई है और कितनी सहायता दी जा रही है; और

(ग) क्या सरकार राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल, निकालने के लिए कोई योजना बना रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उपप्रधान मंत्री और कृषी मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने पेयजल की कमी के कारण सूखा राहत सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर सूखा से प्रभावित ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की अनुमोदित सीमा नीचे दर्शायी गई है :-

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	खर्च की अनुमोदित सीमा			
		ग्रामीण	शहरी	ल	
1.	मध्य प्रदेश .	545.00	309.00	854.00	1 दिसम्बर, 89 से 31 दिसम्बर, 90 तक की अवधि के लिए
2.	राजस्थान .	309.30	247.90	557.20	31-3-90 की अवधि के लिए
3.	उत्तर प्रदेश .	600.00	190.20	790.20	31-3-90 तक की अवधि के लिए

समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई का कार्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की सामान्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जाता है।

(ख) राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने पेयजल की कमी का मूल्यांकन किया था तथा वर्षा, जलाशयों, झीलों तथा कुंओं आदि में जल स्तर संबंधी आंकड़ों को भी ध्यान में रखा है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान की राज्य सरकार को 25.22 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। इसमें मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई हेतु राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बराबर के अंशदान की शर्त के बिना रिलीज किए गए 11.44 करोड़ रुपये शामिल नहीं है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की योजना मनुष्य तथा पशुओं दोनों की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए 1989–90 में 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि भी रिलीज की गई है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है, स्वच्छ पेयजल की सतत् सप्लाई हेतु योजनायें, योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत चलाई जाती हैं। लगभग 400 समस्याग्रस्त गांवों जिनके आठवीं योजना में कवर किए जाने हेतु बकाया रहने की संभावना है, को छोड़कर शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं योजना के अन्त अर्थात् 31–3–90 तक स्वच्छ पेयजल की सुविधायें उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। इन बकाया समस्याग्रस्त गांवों को आठवीं योजना के पहले वर्ष में कवर किए जाने की संभावना है तथा 1990–91 में ऐसे गांवों को कवर करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार को विशिष्ट निर्धारित निधियां उपलब्ध कराई जायेंगी।

Development of High yielding varieties of Seeds

1355. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what type of research work has been done for better and higher yield in less area of land and what are the names of the new seeds which have been developed and what is their effect on agricultural yield; and

(b) what is the amount of the annual expenditure being incurred by Government on the research work relating to agriculture in the country?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Improvement in yield of major crop plants is being brought about through multidisciplinary research involving genetics, plant breeding, physiology, bio-chemistry, agronomy, pathology and entomology, etc. The materials thus developed are subjected to systematic evaluation, through the Coordinated Research Network and adaptive trials at farmers fields having small holding and their superiority is judged accordingly. Research work is also undertaken to develop appropriate agro-production and plant protection technologies for each crop.

List of improved varieties of major crop plants evolved and recommended for cultivation is enclosed. [*See* Appendix CLII, Annexure No. 56]. The new varieties are capable of producing 15-25 per cent higher yield over the local varieties.

(b) The total annual expenditure incurred by ICAR in 1989-90 is Rs. 217 crores (approx.)

Maintenance of Defence Colony Flyover

1356. SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that responsibility for the maintenance of the Defence Colony Flyover, New Delhi, rests with the railway administration;